



सं. /REGN No. INSTM/R/2017/90001

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

1/4आईएसओ 9001%2008 संस्था @AN ISO 9001:2008 INSTITUTION%2

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग /Department of Personnel and Training

प्रशासनिक ब्लॉक , ज.ने.वि. (पुराना) परिसर @Administrative Block, JNU (OLD) Campus

ओलोफ पाल्मे मार्ग ,नई दिल्ली- 110067 @Olof Palme Marg, New Delhi - 110 067

Telephone/ दूरभाष: 011-26102597, Telefax/ टेलीफैक्स: 011-26104183

वेबसाइट-www.istm.gov.in

दिनांक 28.6..2017

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माँगी गई सूचना

महोदय,

दिनांक 23.05.2017 को प्राप्त कृपया अपने सूचना का अधिकार आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आपके अनुरोध का उत्तर संलग्न है।
3. यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी कर्नल संजय कुमार शर्मा, अपर निदेशक, सप्रप्रसं., कमरा संख्या 112, प्रशासनिक ब्लाक, सप्रप्रसं. ज.ने.वि. परिसर (पुराना), ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली, ई-मेल sanjaysharma.148p@gov.in को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

एच. गोविंद

(एच. गोविन्द)

उप निदेशक तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

ई-मेल:govind.h13@nic.in

<p>1. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों विभागों जैसे रेलवे रक्षा, वित्त, डाक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानों में पिछले 10 वर्षों से वर्तमान वित्त वर्ष तक 5 प्रतिशत कोटे की बाध्यता के कारण कितने मृतको के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्तियों के मामले प्रतीक्षा सूची में हैं। कृपया मंत्रालय / विभागो के क्रम में सयुक्त सूची प्रदान करें।</p>	<p>सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान सप्रप्रस से संबंधित सूचना इस प्रकार हैं :- इस संस्थान में पिछले 10 वर्षों में तीन आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत कोटे की बाध्यता के कारण प्रतीक्षा सूची में हैं।</p>												
<p>2. यदि किसी मंत्रालय / विभाग य संस्थान में पिछले वर्षों से नए पदो पर यदि भर्तियाँ नहीं हुई हो तो यदि वर्तमान वित्त वर्ष में (10 वर्ष बाद) 20 पद भरे गए हो तो मृतक आश्रित कोटे से की जाने वाली नियुक्ति का प्रथम हकदार कौन होगा (10 वर्ष पहले मृतक कर्मचारी के आश्रित या वर्तमान वित्त वर्ष में मृतक कर्मचारी के आश्रित) साथ ही कारण भी स्पष्ट करें।</p>	<p>यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>												
<p>3. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों, विभागोंजैसे रेलवे रक्षा, वित्त, डाक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस संस्थानों में वर्तमान वित्त वर्ष तक रिक्त पड़े वर्ग ए,बी,सी, व डी के पदों की क्रमवार सूची प्रदान करें।</p>	<p>सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में रिक्त पड़े पदों का ब्योरा:-</p> <table border="1" data-bbox="1061 958 1380 1104"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>वर्ग</th> <th>रिक्त पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ग्रुप ए</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ग्रुप बी</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ग्रुप सी</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	क्रमांक	वर्ग	रिक्त पद	01	ग्रुप ए	08	02	ग्रुप बी	11	03	ग्रुप सी	11
क्रमांक	वर्ग	रिक्त पद											
01	ग्रुप ए	08											
02	ग्रुप बी	11											
03	ग्रुप सी	11											
<p>4. भारत सरकार द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत कोटे की बाध्यता को समाप्त करने या रिक्त पदो को भरते समय मृतक कर्मचारियों के आश्रितो हेतु पद रिजर्व करने जैसी व्यवस्था पर विचार चल रहा है । (क्या इस विषय में सभी मृतको के आश्रितो पर नियुक्ति हेतु समान अधिकार का नियम लागू नहीं होता।)</p>	<p>यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>												
<p>5. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों विभागों जैसे रेलवे रक्षा, वित्त, डाक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानों में पेशनरों व फैमिली पेशनरो को ना तो पहचान पत्र दिए गए हैं और न ही छोटे शहरो में रहने के कारण उन्हें सीजीएचएस कार्ड की सुविधा ही मिल पाती है। इस बात बाबत् भारत सरकार द्वारा क्या दिशा- निर्देश जारी काये गए हैं। कृपया उक्त की सत्यापित प्रति प्रदान करें।</p>	<p>यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>												
<p>6. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों विभागों जैसे रेलवे रक्षा, वित्त, डाक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानों में आर०टी०आई० का जवाब निश्चित समयावधि में नहीं दिया जा रहा है इस बावत् क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा क्या इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार के आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है।</p>	<p>यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।</p>												

<p>7. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों विभागों जैसे रेलवे रक्षा, वित्त, डाक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानों में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अधिकारियों / कर्मचारियों को पुनः संविदा या अन्य प्रकार से कार्य पर रखा जा रहा है। क्यों कृपया कारण स्पष्ट करें।</p>	<p>इस संस्थान में आवश्यकतानुसार समय समय पर परामर्शदाता को रखा जाता है जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी भी शामिल है ।</p>
---	--